MOST URGENT

PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (46)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/GoI/2017–18 जयपुर, दिनांक 05 अक्टूम्बर, 2018

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत योजना के प्रशासनिक मद से मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2.7.18 एवं संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकारका अ.शा. पत्र क्रमांक जे– 11060/06/2017–आरएच/(एम एण्ड टी) पार्ट 1 दिनांक 31.5.18 एवं एम – 12016/04/2017–आरएच/(एम एण्ड टी) दिनांक 14.8.18

संदर्भ :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तोडगढ का पत्र क्रमांक जी प/ आवास /2018–19/259 दिनांक 14.8.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 2.7.18 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक मद से मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के लिये जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर RSETI के माध्यम से आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशो के क्रम में संदर्भित पत्र जिला परिषद चित्तौडगढ व अन्य जिलो द्वारा मौखिक जानकारी प्राप्त की जा रही है के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैसन कार्यक्रम प्रशिक्षण के क्रम में जारी व्यापक दिशा –निर्देश दिनांक 8.9.17 की प्रति संलग्न कर मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिकता से आयोजित कराने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

अ मूलभूत जानकारी

1. प्रशिक्षण के दौरान निर्मित किये जाने वाले आवास के संबंध में – प्रशिक्षण के दौरान निर्मित किये जाने वाला आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों मे से ही होगा। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियो के रहवास के पास स्वीकृत आवासों में से ऐसे लाभार्थी जो कि नाबालिक, वर्द्ध या विशेष योग्यजन हो, अर्थात स्वयं आवास निर्माण कराने में असमर्थ हो के आवासों का चयन किया जावे।
2. उक्त के अतिरिक्त ऐसे लाभार्थी जो स्वयं मैसन प्रशिक्षण लेना चाहते हो के आवास को भी चुने जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है।
3. प्रशिक्षण का पाठयक्रम – प्रशिक्षण एवं पाठयक्रम national skills qualifications framework (NSQF) के Qualifications Pack (QP) के अनुसार ही होगा। अतः राज्य लिये गये निर्णय के अनुसार जिले के संबंधित RSETI को उक्त पाठयक्रम के अनुसार ही प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जावे एवं उपरोक्तानुसार चयनित आवासो का निर्माण प्रशिक्षण दौरान पूर्ण किये जाने बाबत भी अवगत कराया जावे।
4. Qualifications Pack (QP) के मुख्य बिन्दु/पाठयक्रम निम्नानुसार है –

i. ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य मं प्रयुक्त Bar bending (लोहे की छड को मोडना), सेनेटरी कार्य, बिजली कार्य, शटरिंग के कार्य आदि के मिस्त्री जल्दी से उपलब्ध नही होते है, अतएवं प्रशिक्षण के पाठयक्रम में इनको भी शामिल किया गया है।

ii. रूरल मैसन प्रशिक्षण के Qualifications Pack (QP) का लेवल 4 निर्धारित किया गया है एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर CSDCI/DGT द्वारा आयोजित मूल्यांकन (परीक्षा) में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी Skilled Rural Mason के रूप में प्रमाणित किया जावेगा।

iii. प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेब साईट (https://www.iay.nic.in) पर उपलब्ध रूरल मैसन Qualifications Pack (QP) के अनुसार ही आयोजित किये जाने होंगे।

5. प्रशिक्षण – मुख्यतः ऑन साईट प्रशिक्षण होगा व आवास का निर्माण प्रशिक्षण के दौरान किया जावेगा। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण निर्माणाधीन आवासो के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। अटल सेवा केन्द्र को प्राथमिकता दी जावे। Qualifications Pack (QP) में आवश्यक उपकरणो का वर्णन है।

6. प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण के दौरान 80 प्रतिशत उपस्थिति प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित किये जाने वाले मूल्यांकन हेतु अनिवार्य है, अर्थात 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा। इस हेतु प्रशिक्षण देने वाले व प्रशिक्षणार्थियो का इन्द्राज अनिवार्य है।

7. प्रशिक्षण CSDCI/DGT के द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षको द्वारा आयोजित किया जाना है।

8. प्रशिक्षण अवधि 45 दिवस (प्रतिदिन 8 घण्टे कार्य) की होगी। प्रतिदिवस इन 45 दिवसो का तैयार किया गया है, जिसको उपयोग में लाया जा सकता है।

9. प्रशिक्षणार्थीयो के उपयोग हेतु प्रशिक्षण सामग्री (5 हेण्ड बुक) भी तैयार की गई है।

ब प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी

1. प्रशिक्षण के दौरान निर्मित किये जाने वाले आवास का चयन (उपरोक्त जारनकारी के अनुसार)।

2. प्रशिक्षणार्थियो का चयन व पंजीयन – यह पंजीयक पंचायत समिति पर उपलब्ध लॉगिन से किया जावेगा। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न दिशा – निर्देश के पृष्ठ 17 व 19 पर वर्णित है।

3. निर्मित किये जाने वाले आवास के साथ प्रशिक्षणार्थियो का बैच निर्धारण।

4. निर्माण किये जाने वाले आवास को एक मुश्त अनुदान राशि रूपये 1.20 लाख के भुगतान हेतु आवास सॉफ्ट पर दर्ज करना/एफटीओ की कार्यवाही (जिसका विस्तृत विवरण संलग्न दिशा – निर्देश के पृष्ठ 17 व

19 पर वर्णित है)। उल्लेखनीय है कि 45 दिवस में आवास पूर्ण करवाये जाने के मद्देनजर आवास निर्माण हेतु देय अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में एक मुश्त जारी की जावेगी ताकि राशि के उपयोग से आवश्यक निर्माण सामग्री 45 दिवस के कलेण्डर के हिसाब से क्रय की जा सके एवं राशि के अभाव में प्रशिक्षण बाधित नहीं हो।

5. प्रशिक्षण के दौरान नियोजित अकुशल श्रमिक को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जावे अर्थात महात्मा गांधी नरेगा से देय 90 दिवस का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

6. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को wage compensation के रूप में वर्तमान प्रचलित दर 207 रूपये प्रतिदिवस के हिसाब से भुगतान विभाग द्वारा समय पर 15–15 दिवस के अन्तराल पर सुनिश्चित किया जावे। इस राशि भुगतान भी प्रशासनिक मद से देय होगा।

7. प्रशिक्षण के संबंध में अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट

   i. www.sdi.gov.in

   ii. www.csdindia.org

   https://www.nsdindia.org/new/training-partners-list

स प्रशिक्षण हेतु RSETI (TP) को भुगतान के संबंध में निर्देश

1. प्रशिक्षणदाता को देय राशि के संबंध में जानकारी www.msde.gov.in पर उपलब्ध है। यह राशि सभी प्रशिक्षणदाताओ हेतु एक समान होगी, जो वर्तमान में 38.50 रूपये प्रतिघण्टा प्रति प्रशिक्षणार्थी निश्चित है, जिसका निम्नानुसार दो चरणों में भुगतान किया जावेगा –

   i. RSETI व जिला परिषद के मध्य एग्रिमेन्ट हस्ताक्षर होने पर – प्रशिक्षण कार्यादेश राशि का शेष 30 प्रतिशत।

   ii. प्रशिक्षण व मूल्यांकन के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर – प्रशिक्षण कार्यादेश राशि का शेष 70 प्रतिशत।

द प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान

1. योजना के क्रियान्वयन फेर्मवर्क के बिन्दु संख्या 3.3.1 (V) में वर्णित राशि के अनुसार जिले को जारी राशि के 20 प्रतिशत का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जावे।

य मूल्यांकन एवं प्रशिक्षणार्थियो का प्रमाणिकरण

1. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर RSETI (TP) पंचायत समिति/जिला परिषद को सूचित करते हुये राज्य व CSDCI/DGT को प्रशिक्षण व मूल्यांकन हेतु सूचित करेंगी। उनके द्वारा मूल्यांकन दिवस के बारे में राज्य से विचार विमर्श कर तिथियां निर्धारित की जावेगी। निर्धारित दिवस को मूल्यांकन कार्य सम्पादित कर निर्णय की सूचना CSDCI/DGT को उपलब्ध कराई जावेगी। जिस आधार पर प्रशिक्षाणार्थियो को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये जावेंगे।

2. मूल्यांकन प्रकिया 15 दिवस में एवं प्रमाण पत्र प्रकिया 10 दिवस में RSETI (TP) द्वारा सम्पन कराई जावे इस बाबत सम्पादित किये जाने वाल एग्रिमेन्ट में उल्लेख किया जावे।

अतः निर्देश है कि उक्तानुसार संलग्न का अध्ययन कर जिला स्तर पर प्रशिक्षण के संबंध में कार्य योजना निर्धारित की जावे, विशेष उल्लेख है कि संदर्भित अ.शा. पत्र दिनांक 14.9.18 सलंग्न के द्वारा संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवगत कराया है कि योजना के कियान्वयन, आंकलन अर्थात राज्य की रैकिंग हेतु निर्धारित पैरा मीटर में मैसन प्रशिक्षण को शामिल करते हुये 15 प्रतिशत वैटेज निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित वैटेज के कारण जिलो को राष्ट्रीय रैकिंग के निर्धारण अर्थात पुरूस्कार प्राप्त करने की योग्यता निर्धारण के कम में मैसन प्रशिक्षण महत्वपूर्ण बिन्दु हो गया है।

राज्य को आवंटित कुल लक्ष्या 20596 की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार अवधि निर्धारित की जाती है –

अवधि	प्रथम चरण (अक्टूम्बर – नवम्बर 18)	द्वितीय चरण (दिसम्बर 18 – जनवरी 19)	तृतीय चरण (फरवरी – 15 मार्च 19)
लक्ष्य	20 प्रतिशत	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत

राज्य को मैसन प्रशिक्षण हेतु आवंटित 20596 लक्ष्यो को उक्तानुसार आवंटित किया जाकर निर्देश है कि दिनांक 20 अक्टूम्बर 2018 तक प्रशिक्षाणार्थियो का पंजीकरण कर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के निगरानी व पर्यवेक्षण में RSETI के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश / निर्धारित मानको अनुसार उक्तानुसार जिले को आवंटित लक्ष्यानुसार दिनांक 15 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावे। सुलर्भ संदर्भ हेतु पूर्व में जारी निर्देश/भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश की प्रति पुनः संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
4 विशिष्ट उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6 निजी सचिव, महानिदेशक, आई.जी.पी.आर.एस. जयपुर।
7 निजी सचिव, प्रमख सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि.
8 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
10 अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
12 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि